न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 67 / 2017

बउनवान

राजू पुत्र मोतीलाल आयु–38 वर्ष, जाति–कुम्हार निवासी–कलमण्डा
तहसील–बारां जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 24.09.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 27.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–कलमण्डा, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 1806 रकबा 0.06 हैक्टर, किस्म माल । पर ईट भट्टा लगाकर अकृषि कार्य करने के लिये पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर, उक्त आराजी से बेदखल कर, 1125/–रूपये अर्थदण्ड, ईट भट्टा जप्ती, नीलामी एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजी श्री अक्षय पुत्र तुलसी [illegible] जन नि. कलमण्डा की खातेदारी की भूमि है जिसपर नियमानुसार ईट भट्टा [illegible] था, जो अनुज्ञप्त किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक [illegible] अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया है। नि[illegible] किया [illegible] है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्या[illegible] 27.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन [illegible] न्यायालय ने अपीलांट को किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया है [illegible] ने बिना प्रोपर तामील कराये अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही [illegible] विधि विरूद्ध तरीके से एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट ने खाते की आराजी पर ईट भट्टा संचालन किया हुआ है जिसमें कुछ आराजी सरकारी आ रहीं थी जिसे जानकारी होने पर उक्त आराजी से पूर्व से ईट भट्टा हटा लिया है। वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि खाली पड़ी हुई है। अब अपीलांट को अपनी खातेदारी आराजी की चतुर्थ सीमा की जानकारी हो चुकी है इसलिये विवादित

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

कृषक को इस प्रकार से ईट भट्टा लगाकर व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्त किया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी पर कभी भी स्वंय अथवा अन्य के माध्यम से उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध रहेगा। अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य व दस्तावेजात् व बेदखलीनामा नहीं है। विधि का सिद्धान्त है कि यदि पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है तो घटनाबहीं, बेदखलीनामा, साक्ष्य, बयान व पूर्व निर्णय की प्रति पत्रावली शामिल करना अनिवार्य है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत कोई दस्तावेजात नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलांट का अतिक्रमण नहीं है। न्यायहित में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई व जवाबदेहीं का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने खाते व राजकीय भूमि पर बिना स्वीकृति के ईट भट्टा लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा अपीलांट को पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है तथा जानकारी होने पर उसने अतिक्रमण व ईट भट्टा हटा लिया है। इसके विपरीत पेरोकार सरकार का कथन रहा है कि अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन व विवेचित तथ्यों पर मनन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिया है। किन्तु अपीलांट के कथन से हम सहमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमी सिद्ध करने से पूर्व पत्रावली पर पश्चातवर्ती [illegible] रेकार्ड को पत्रावली पर नहीं लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेजात को पत्रावली में शामिल नहीं कर विधिक भूल की है। चूकि अपीलांट का कथन [illegible] से ईट भट्टा हटा लिया है तथा भविष्य में कभी अतिचार नहीं [illegible]।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण [illegible] 2016 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2016 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है। शेष बेदखली, जप्ती एंव शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official